संख्या–358 / 71–4–2019–15 / 2018टी0सी0

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 09 मार्च, 2019

विषयः–शैक्षणिक सत्र 2019–20 हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम0डी0 / एम0एस0 / डिप्लोमा / एम0डी0एस0) में प्रवेश हेतु दिशा–निर्देश / नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–एम0ई0–3 / 2019 / 194, दिनांक 24.01.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नीट पी0जी0–2019 की मेरिट सूची के आधार पर स्टेट कोटा की सीटों के सापेक्ष शैक्षणिक सत्र–2019–20 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम0डी0 / एम0एस0 / डिप्लोमा / एम0डी0एस0) में प्रवेश हेतु निम्नवत् दिशा–निर्देश / नीति निर्धारित करते हुए कार्यवाही किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. अभ्यर्थियों के आन लाइन पंजीकरण, स्टेट मेरिट सूची–

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रस्ताव के दृष्टिगत नीट पी0जी0 2019 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के आन लाइन पंजीकरण, डाटा कैप्चर, फोटो अपलोड, शुल्क भुगतान आदि की कार्यवाही हेतु गत वर्ष की भांति ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) योजना भवन, लखनऊ को तकनीकी संस्था नामित किया जाता है। मेरिट सूची महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उ0प्र0 या उनके द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा श्री प्रो0 ए0के0 सिंह, परीक्षा नियंत्रक, के0जी0एम0यू0, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित 03 सदस्यीय समिति के सहयोग से तैयार की जाय। समिति में 02 अन्य सदस्यों का नामांकन प्रोफेसर ए0के0 सिंह, परीक्षा नियंत्रक, के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

2. विवरण पुस्तिका (ब्रोशर):–

नीट पी0जी0 2019 की स्टेट कोटे की 50 प्रतिशत सीटों हेतु आयोजित की जाने वाली काउंसिलिंग से संबंधित विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किये जाने की कार्यवाही महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति, जिसमें के0जी0एम0यू0, लखनऊ, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ, डा0 राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,

लखनऊ, शासन के प्रतिनिधि तथा महानिदेशालय के अधिकारी सम्मिलित होंगे, के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी। डा0 बी0डी0 सिंह इसके संयोजक होंगे।

3. अर्हताएं (Eligibility)

(क) शैक्षिक अर्हता–

मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसमें इन्टर्नशिप भी सम्मिलित है।

(ख) अधिवास सम्बन्धी अर्हता–

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह अवगत कराया गया कि देश के अन्य प्रदेशों यथा–उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में यह व्यवस्था लागू है कि प्रदेश के मूल निवासी छात्र जिन्होंने प्रदेश के बाहर के मेडिकल कालेजों द्वारा एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो, उन्हें भी प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों के स्टेट कोटा के पी0जी0 सीटों पर प्रवेश हेतु अर्ह माना जाता है। अतः तद्नुसार यह व्यवस्था प्रदेश के मूल निवासियों/अधिवासी (Domicile) अभ्यर्थियों के लिए भी अपनायी जाय। अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों के स्टेट कोटा के पी0जी0 सीटों पर प्रवेश हेतु मूल निवासी/अधिवासी (Domicile) अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था अपनायी जायः–

The Candidates who are domiciled in the State of Uttar Pradesh and who have obtained admission under 15% All India Quota/AIIMS/Central Government Institutions for MBBS course in the Medical College/Institution situated outside Uttar Pradesh State and who have obtained the degree from a University situated outside the State of Uttar Pradesh will also be eligible for selection process of NEET-PG 2019. Such candidates should submit (i) certificate from the Principal/Dean of respective Medical College stating that the candidate was admitted under 15% All India quota/AIIMS/Central Government Institutions for MBBS Course and (ii) Candidate's Domicile certificate of Uttar Pradesh state by virtue of residence issued by competent authority.

4. अनर्हताएं (Not Eligible) :–

- ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों अथवा अनुत्तीर्ण हों, वे राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों/डेण्टल कालेजों में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- ऐसे अध्ययनरत अभ्यर्थी, जिन्होने नीट पी0जी0 2019 की अधिसूचना जारी होने की तिथि (नीट पी0जी0(एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा)– 2019 हेतु दिनांक 23.10.2018 तथा नीट एम0डी0एस0–2019 हेतु 18.10.2018) को या उसके पश्चात् अपनी सीट से त्यागपत्र दिया हो।
- पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सूची चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जाएगी वह राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

*उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दु के कम में डा0 सौरभ द्विवेदी व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य द्वारा योजित सिविल अपील संख्या–8268/2017 तथा डा0 नितिन कुमार व अन्य बनाम डा0 राम दिवाकर व अन्य द्वारा योजित सिविल

अपील संख्या–8274/2017 में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. काउंसिलिंग प्रकिया–

नीट पी0जी0 2019 की उत्तर प्रदेश राज्य की सीटों हेतु गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी ऑनलाईन काउंसिलिंग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, (एन0आई0सी0), योजना भवन, लखनऊ के माध्यम से करायी जायेगी।

6. पंजीकरण/काउंसिलिंग शुल्क–

शासनादेश संख्या–12/71–4–2018–15/18 दिनांक 08 मार्च 2018 में निहित व्यवस्थानुसार नीट पी0जी0 2018 की काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थियों से पंजीकरण शुल्क के रूप में रू0 2000/–(रूपये दो हजार मात्र) प्रति अभ्यर्थी दोनो चक्रों (प्रथम व द्वितीय) की कांउसिलिंग हेतु तथा मॉप अप राउण्ड हेतु रू0 1000/–(रूपये एक हजार मात्र) प्रति अभ्यर्थी (मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियो को अलग से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा) पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा कराए जाने की व्यवस्था वर्तमान वर्ष में भी लागू रहेगी।

7. धरोहर धनराशि (Security Money)–

शासनादेश संख्या–12/71–4–2018–15/18 दिनांक 08 मार्च 2018 में निहित व्यवस्थानुसार नीट पी0जी0 2018 की काउंसिलिंग में राजकीय क्षेत्र के कालेजों हेतु धरोहर धनराशि (Security Money) के रूप में रू0 30,000/–(रूपये तीस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों हेतु रू0 2,00,000/–(रूपये दो लाख मात्र) निर्धारित की गई थी। राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश लेने के उपरान्त उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में वापस किये जाने की व्यवस्था की गयी थी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लिया जाएगा उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर लिये जाने का प्राविधान किया गया था।

नीट पी0जी0 2019 हेतु आयोजित की जाने वाली आन लाइन काउंसिलिंग के लिए अभ्यर्थियों से धरोहर धनराशि (Security Money) च्वाइस फिलिंग से पूर्व आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा करा लिया जाए। (उक्त व्यवस्था नीट पी0जी0– 2018 की काउंसिलिंग हेतु निर्धारित की गयी थी।)

नीट पी0जी0–2019 की काउंसिलिंग हेतु राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु धरोहर धनराशि रू0 30,000/– (रूपये तीस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों हेतु रू0 2,00,000/–(रूपये दो लाख मात्र) तथा निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों के लिए रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा कराया जाय।

पूर्व की भाँति धरोहर धनराशि (Security Money) विकल्प भरने (Choice Filling) से पूर्व आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा करायी जाय तथा जिन अभ्यर्थियों

द्वारा आवंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लिया जाएगा उनकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी, जिन अभ्यर्थियों को उनके विकल्प (Choice Filling) के अनुसार सीट का आवंटन (Allotment) नहीं होगा उनकी धरोहर धनराशि **(Security Money)** अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक एकाउन्ट में वापस कर दी जाएगी। (धरोहर धनराशि (Security Money) अभ्यर्थी के स्वयं के बैंक एकाउन्ट में ही वापस की जाएगी।)

यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम काउंसिलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी मेडिकल/डेण्टल की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात् अभ्यर्थी आल इण्डिया या अन्य प्रदेश की काउसिलिंग के माध्यम से किसी अन्य सीट पर आवंटन प्राप्त करता है और वह प्रदेश की प्रथम काउसिलिंग से प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है (त्यागपत्र के समय अन्य काउसिलिंग से आवंटन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा) तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय काउसिलिंग की च्वाईस फिलिंग से दो दिन पूर्व (उदाहरणानार्थ यदि द्वितीय काउसिलिंग की च्वाईस फिलिंग 24 अप्रैल, 2019 से प्रारम्भ है, तो अभ्यर्थी 21 अप्रैल, 2019 को सायं 04.00 बजे तक) अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि तथा शैक्षणिक शुल्क से निम्नानुसार कटौती करते हुए वापस किया जाय।

- ➢ राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा शैक्षणिक शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस देय होगी।
- ➢ निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा शैक्षणिक शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस देय होगी।

आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है तो धरोहर धनराशि (Security Money) किसी भी दशा में वापस देय नहीं होगी।

निजी क्षेत्र में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी को आवंटित कालेज हेतु निर्धारित शैक्षणिक शुल्क की धनराशि को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के खाते में आनलाइन जमा करते हुए जमा शुल्क की रसीद के साथ प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्धारित नोडल सेन्टर (Nodal Center) पर व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, धरोहर धनराशि शैक्षणिक शुल्क में समायोजित नहीं की जाएगी।

राजकीय क्षेत्र के कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी आवंटित कालेज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमा करने के साथ प्रवेश प्रकिया पूर्ण करेंगे, धरोहर धनराशि शैक्षणिक शुल्क में समायोजित नहीं की जाएगी।

8. त्याग–पत्र दिये जाने के संबंध में–

(क) राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु –

प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी अपनी

सीट से त्याग पत्र देता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा समस्त शैक्षणिक शुल्क जब्त कर लिया जायेगा व साथ ही साथ रू0 5,00,000/–(रूपये पॉच लाख मात्र) का बाण्ड प्रभावी हो जायेगा। जिसे अभ्यर्थी को आवंटित कालेज में जमा कराना होगा।

(ख) निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु–

प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी मॉपअप राउण्ड से पूर्व अपनी सीट से त्याग पत्र देता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा उसके द्वारा तत्समय जमा किया गया समस्त शैक्षणिक शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।

मॉप अप राउण्ड के पश्चात निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो/विश्वविद्यालयों/डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थी पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व यदि सीट से त्याग पत्र देता है तो उक्त पाठ्यक्रम की समस्त शैक्षणिक शुल्क (Tution Fee) सम्बन्धित मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय/ डेण्टल कालेज को देय होगी और सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यदि अभ्यर्थी को सिक्योरिटी धनराशि वापस की जा चुकी है तो वह भी उसे जमा करना होगा।

9. प्रवेश प्रकिया–

प्रवेश प्रकिया के सम्बन्ध में रिट याचिका (सिविल) संख्या–267/2017 दार–अस–सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल कांउसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश हेतु नोडल सेन्टर–

क0सं0	मेडिकल कालेज का नाम	निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज	निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेज
1.	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	1. एराज़ लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ 2. कैरियर इंस्टी0 आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ	1. बी0बी0डी0 कालेज आफ डेण्टल साइंसेज, लखनऊ 2. सरस्वती डेण्टल कालेज, लखनऊ 3. सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टी0 ऑफ डेण्टल साइंसेज, लखनऊ 4. कैरियर इंस्टी0 आफ डेण्टल साइंसेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ
2.	एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ	3 मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर 4. सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ 5. तीर्थांकर महावीर मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, मुरादाबाद 6. सरस्वती इंस्टी0 आफ	5. सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ 6. कालका डेण्टल कालेज, मेरठ 7. आई0टी0एस0 डेण्टल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर ग्रेटर नोएडा 8. स्कूल ऑफ डेण्टल (शारदा यूनिवर्सिटी), ग्रेटर नोएडा 9. तीर्थांकर महावीर डेण्टल कालेज,

		मेडिकल साइंसेज, हापुड़ 7. स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज, शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा	मुरादाबाद 10. कोठीवाल डेण्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर मुरादाबाद
3.	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर	8. रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर कानपुर	10 रामा डेण्टल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर कानपुर
4.	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा	9. रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बरेली 10. श्री राममूर्ति स्मारक इंस्टी0 आफ मेडिकल साइंसेज, बरेली	12. इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, गाजियाबाद 13. के0डी0 डेण्टल कालेज, मथुरा 14. श्री बांके बिहारी डेण्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर , गाजियाबाद 15. डी0जे0 कालेज ऑफ डेण्टल साइंसेज एण्ड रिसर्च, मोदीनगर, गाजियाबाद 16. इंस्टी0 आफ डेण्टल साइंसेज, बरेली 17. आई0डी0एस0टी0 मोदीनगर गाजियाबाद 18. आई0टी0एस0 डेण्टल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, मुरादनगर, गाजियाबाद
5.	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	11. हिन्द इंस्टी0 ऑफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी	19. चन्द्रा डेण्टल कालेज, बाराबंकी
6	मेडिकल कालेज, गोरखपुर		20. डेण्टल कालेज, आजमगढ़

11. बाण्ड व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में–

(अ) सेवा बाण्ड –

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या– 950/71–2–82/2017, दिनांक 07 मार्च, 2018 के कम में स्नातकोत्तर पाठ्यकम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित एग्रीमेण्ट बॉण्ड निम्न तालिकानुसार कार्यवाही की जाएगी:–

क0 सं0	पाठ्यकम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
	स्नातकोत्तर (एम0डी0/ एम0एस0/एम0डी0एस0 /पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यकम)	02 वर्ष	रू0 40.00 लाख (डिग्री हेतु) रू0 20.00 लाख (पी0जी0 डिप्लोमा/एम0डी0एस0 हेतु)	महानगरों को छोड़कर राजकीय मेडिकल कालेजों में सीनियर रेजीडेण्ट अथवा संविदा प्रवक्ता तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित महानगरों को छोड़कर जिला चिकित्सालयों अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में।

(ब) **(I)** स्टेट कोटा/आल इण्डिया कांउसिलिंग के माध्यम से राजकीय मेडिकल कालेजो/विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/डेण्टल कालेजों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश के समय रू0 5,00,000.00 (रू0 पॉच लाख मात्र) का बाण्ड महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पक्ष में इस आशय से देय होगा कि यदि प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व अपनी सीट से त्याग पत्र देता है तो रू0 5,00,000.00 (रू0 पॉच लाख मात्र) का भुगतान महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को देय होगा तथा प्रवेश हेतु जमा किया गया शुल्क तथा सिक्योरिटी धनराशि वापस नहीं किया जायेगा।

(II) स्टेट कोटा/आल इण्डिया कांउसिलिंग के माध्यम से राजकीय मेडिकल कालेजो/विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व अपनी सीट से त्यागपत्र देता है तो अभ्यर्थी को प्राप्त समस्त वेतन वापस करना होगा।शासनादेश संख्या-1332सेक14/पाँच-96-250/82 टी0सी0, दिनांक 08जुलाई, 1996 के अनुसार कोई अभ्यर्थी जिसे किसी विशेषज्ञता के स्नातकोत्तर डिप्लोमा या उपाधि पाठ्यक्रम में राज्य चिकित्सा कालेजों या के0जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में, प्रविष्ट किया गया हो, किसी भिन्न विशेषज्ञता में प्रवेश के लिए पश्चातवर्ती प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह पाठ्यक्रम जिसमें उसे प्रवेश दिया गया है, पूर्ण नहीं कर लेता है और परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है परन्तु यह कि यदि किसी प्रविष्ट छात्र का त्यागपत्र, सम्बद्ध कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा अधिसूचना के जारी होने के पूर्व, स्वीकार किया जाता है और अभ्यर्थी पाठ्यक्रम/अध्ययन के दौरान उसके द्वारा प्राप्त वृत्तिका/वेतन की सम्पूर्ण धनराशि लौटा देता है, तब ऐसा छात्र पश्चातवर्ती प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा परन्तु यह और कि इस उपखण्ड के उपबन्ध ऐसे अभ्यर्थी पर लागू नहीं होंगे, जो उस पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है, जो उसे आवंटित किया गया है।

12. **प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/ स्वायत्तशासी संस्थानों के स्टेट कोटा के सीटों के संबंध में आरक्षण व्यवस्था:-**

(क) प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/स्वायत्तशासी संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नियमानुसार लागू की जानी है।

ऊर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण

अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत

क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण

दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी — 05 प्रतिशत

(ख) स्पेशल अपील संख्या–689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर–प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को नीट पी0जी0 2019 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नही होगा।

(ग) रिट याचिका संख्या–1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा हॉरिजाण्टल आरक्षण के संबंध में दिनांक 24.3.2017 को पारित आदेश द्वारा क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर ही अनुमन्य होगा।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पिछडा वर्ग के अन्तर्गत आने वाली कतिपय जातियां भारत सरकार में अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित हैं। यह सम्भावना है कि नीट पी0जी0 2019 के आवेदन के समय उ0प्र0 राज्य के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अपनी जाति अनारक्षित श्रेणी में दर्शा दी गई हो। अतः उत्तर प्रदेश राज्य की नीट पी0जी0 2019 की काउंसिलिंग हेतु जारी किए जाने वाले ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

(ड.) प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में आल इण्डिया कोटा की 15 प्रतिशत सीटों पर अन्य प्रदेश के प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रदेश कोटा की पी0जी0 सीटों पर आरक्षण सम्बन्धी लाभ देय नही होगा तथा वह सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी ही माने जायेगें।

(च) आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रपत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप पर ही मान्य होगें।

(छ) निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजो की सीटो पर कोई आरक्षण देय नहीं है।

13. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों में शिक्षण शुल्क के सम्बन्ध में:–

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों का शिक्षण शुल्क पृथक से निर्धारित कर शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

14. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों के डोमिसाइल के सम्बन्ध में :–

गत वर्ष स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में लागू व्यवस्था की भांति ही नीट पी0जी0 2019 हेतु भी निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों में उत्तर प्रदेश

राज्य के निवासियों के साथ ही साथ अन्य राज्यों के निवासियों को भी सीट आवंटन हेतु अर्ह माना जायेगा।

15. **काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में:–**

शासनादेश संख्या–12/71–4–2018–15/18 दिनांक 08 मार्च 2018 के बिन्दु–11 में निहित व्यवस्थानुसार नीट पी0जी0 2018 की ऑनलाईन काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों से आवंटन के परिप्रेक्ष्य में प्रति कालेज रू0 1,00,000/– जमा कराया गया था। वर्तमान वर्ष 2019 में भी पूर्व व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी।

16. **पी0एम0एच0एस0 संवर्ग :–**

मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित सुसंगत आदेशों के अनुपालन में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अर्ह चिकित्सकों को weightage (भारांक) प्रदान करते हुए महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिनांक 11.03.2019 तक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को अर्ह चिकित्सकों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

17. **पी0सी0पी0एण्ड डी0टी0 एक्ट–1994 के अन्तर्गत सीटों का आवंटन–**

प्रदेश में गर्भधारण, पूर्व एवं प्रसव –पूर्व निदान– तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) छः मासिक प्रशिक्षण नियम 2014 के अनुपालन में जारी अधिसूचना संख्या–527/71–2–2016–178/2015, दिनांक 23.02.2016 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में छः माह के प्रशिक्षण हेतु अधिसूचित 06 चिकित्सा संस्थानों में सीटें नीट पी0जी0 2019 की मेरिट सूची के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से भरी जायेंगी।

18. **काउंसिलिंग बोर्ड का गठन–**

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अपने स्तर से काउंसिलिंग बोर्ड का गठन किया जायेगा, जिसमें शासन स्तर से न्यूनतम उप सचिव स्तर के 01 अधिकारी को नामित किया जायेगा।

19. **काउंसिलिंग बोर्ड में अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रतिनिधियों का नामांकन–**

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह अवगत कराया गया कि काउंसिलिंग बोर्ड में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों के एसोसिएशन द्वारा प्रतिनिधियों के नामांकन की व्यवस्था है, जिसे यथावत लागू रखने पर सहमति व्यक्त की गयी।

20. **दिव्यांगजनों के लिए प्रमाण पत्र–**

भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

21. **डिप्लोमा सीटों पर प्रवेश–**

एम0सी0आई0 द्वारा जिन डिप्लोमा सीटों को डिग्री में परिवर्तित किये जाने की अधिसूचना निर्गत कर दी गयी है, उन पर नामांकन नही किया जायेगा। शेष डिप्लोमा सीटों पर पूर्ववत् कार्यवाही की जायेगी।

22. माप–अप के लिए स्थान चयन के सम्बन्ध में–

गत वर्ष की भांति वर्तमान वर्ष 2019 में भी माप–अप काउंसिलिंग से समबन्धित से कार्य किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ के कलाम सेन्टर में सम्पन्न कराया जायेगी।

23.काउंसिलिंग से सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों (महानिदेशालय/शासन /एन0आई0सी0) को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में–

इस सम्बन्ध में गत वर्ष की भांति वर्तमान वर्ष 2019 में भी चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–77/71–3–1998 दिनांक 31.01.1998 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

24. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों द्वारा 50 प्रतिशत सीटें अपने स्तर से भरे जाने के सम्बन्ध में–

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों की सीटों के नामांकन के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा भारत सरकार द्वारा गत वर्ष निर्गत आदेशों को वर्तमान वर्ष 2019 में भी अंगीकृत करते हुए सभी सीटों पर आवंटन नीट परीक्षा के माध्यम से सम्पन्न करायी जायेगी।

25. अधिवास/मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में–

नीट परीक्षा में उत्तीर्ण उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को मूल निवास/अधिवास (Domicile) प्रमाण पत्र प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार निर्गत किये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को शासन स्तर से पत्र प्रेषित किया जाय। यह उल्लेखनीय है कि केवल 10वीं व 12वीं या दोनों परीक्षाओं के उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण होने के आधार पर उ0प्र0 के राजकीय मेडिकल/डेण्टल कालेज के स्टेट कोटा की अर्हता हेतु अधिवासी होने का लाभ अनुमन्य नही कराया जायेगा।

26. दिव्यांगजनों के दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में–

दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों का व्यापक प्रचार–प्रसार मुख्य समाचार पत्रों, वेबसाइट आदि के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय ताकि दिव्यांगजनों को इस सम्बन्ध में कोई असुविधा न हो।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

9/03/19

(मुकेश कुमार मेश्राम)

सचिव।

संख्या–358(1)/71–4–19–तद्दिनाक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया/डेण्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
5. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
8. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
9. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
11. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या–एम0ई0–3/2019/ 613

लखनऊ दिनांक 15 मार्च 2019

उपरोक्त शासकीय पत्र दिनांक 09 मार्च 2019 की प्रतिलिपि जो नीट पी0जी0 2019 के नीति निर्धारण के संबंध मे है, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रधानाचार्य/कुलसचिव/निदेशक समस्त राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय/संस्थान।
2. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य समस्त निजी क्षेत्र मेडिकल /डेंटल कालेज/विश्वविद्यालय।
3. निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश विभाग की वेब–साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

१५ (के0 के0 गुप्ता)
महानिदेशक